

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 7618 /22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/टी-3/2015  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/04/2015

महाप्रबंधक, (समस्त)  
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
..... (म.प्र.)

विषय : मार्गों में निर्माण के दौरान उचित डायवर्सन उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रायः यह देखा गया है कि, निर्माणाधीन मार्गों में उचित डायवर्सन उपलब्ध न करवाने के कारण यातायात बाधित होता है, तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि :-

1. निर्माणाधीन मार्गों में यथासंभव पर्याप्त चौड़ाई में डायवर्सन दिया जाए। डायवर्सन के दोनो छोर पर अस्थायी डायवर्सन बोर्ड तथा directional arrow दर्शाया जाए।
2. डायवर्सन के सफेद रंग युक्त पत्थर/सेन्ड बैग से चिन्हित किया जा सकता है।
3. रंगीन/लाल रंगयुक्त फीता भी लगाया जाए।
4. सी.डी. स्ट्रक्चर की खुदाई के चारों तरफ proper barricading कराया जाए।
5. ऐसा प्रबंध करें कि रात्रि में भी सुरक्षा अवरोध स्पष्ट दिखे।
6. रोड के एकतरफ निर्माण सामग्री रखें जिससे एक तरफ का रास्ता पूरा clear हो। मार्ग के किनारे निर्माण सामग्री को इतनी ही मात्रा में प्रयुक्त करें जिसे सामान्यतः एक-दो सप्ताह उपयोग किया जा सके। लंबे समय तक एकत्रित सामग्री पड़ी न रहे।
7. अनुपयुक्त सामग्री/rejected material को तत्काल स्थल से हटाया जाए। मार्ग के किनारे/सटे हुए स्थल से मिट्टी प्राप्त करने हेतु खुदाई न करे। यदि कही गहरी खुदाई है तो उसे भरें तथा न भरें जाने तक उचित रक्षात्मक अवरोध (barricading ) लगाए।
8. निर्माणाधीन मार्ग पर "सावधान" "मार्ग निर्माणाधीन है" "कार्य प्रगति पर है" आदि संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाएं।
9. उपरोक्त विषयांतर्गत संबंधित IRC and MoRD specification /codes का पालन सुनिश्चित करें।

*Deena*

( अलका उपाध्याय )  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
भोपाल

क्र. 7619 /22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/टी-3/2015  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28/04/2015

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. भोपाल।
2. समस्त मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. भोपाल/इंदौर/रीवा।
3. समस्त महाप्रबंधक (तक.) म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. भोपाल।
4. प्रबंधक (आई.टी.) पत्र को वेब-साईट पर अपलोड करें।
5. सरकुलर सेक्शन।

*Deena*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
भोपाल